अध्यादेश क्रमांक - 56

वर्धा समाज कार्य संस्थान

(Wardha Samaj Karya Sansthan)

56. 1 स्थापना :

वर्धा समाज कार्य संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2(l) की परिभाषा के अनुसार तथा अधिनियम की धारा 5 (xiii) द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत तथा विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद और कार्य-परिषद के नियंत्रणाधीन एक संस्थान के रूप में होगी।

56.2 उद्देश्य :

वर्धा समाज कार्य संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

1. सामाजिक कार्य शिक्षा के भारतीयकरण के बुनियादी सिद्धांतों और तरीकों की पहचान करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्नातक, स्नातकोत्तर और पी-एच.डी. स्तर पर सामाजिक कार्य शिक्षा के पाठ्यक्रम तैयार करना तथा उसका अध्ययन/अध्यापन करना ।
3. पाठ्यचर्या निर्माण, अध्यापन और मूल्यांकन के माध्यम से सामाजिक कार्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय स्वदेशी ज्ञान के स्रोतों की पहचान करना।
4. विभिन्न स्तरों पर सामाजिक कार्य अभ्यास पर केंद्रित भारतीय ज्ञान के विकास के लिए रणनीतियों को विकसित करना।
5. सामाजिक कार्य पाठ्यक्रम में भारतीय मूल्यों, वैश्विक दृष्टिकोण और दर्शन का एकीकरण करना ।

56.3 कार्य :

संस्थान निम्नलिखित कार्यों का संपादन करेगा, जिसमें यथासमय संशोधन-परिवर्धन किया जा सकेगा-

(i) विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन
(ii) अभिविन्यास/पुनश्चर्या/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन
(iii) पाठ्यचर्याओं और अध्ययन सामग्री का विकास
(iv) समाज कार्य और भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय अध्येताओं, हित समूहों और संस्थाओं के साथ परस्पर सहयोग
(v) देश-विदेश में स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय हितों की सिद्धि के लिए अनुबंध (MoU)
(vi) संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विशिष्ट अध्येताओं, अतिथि आचार्यों, विशेषज्ञों आदि को विहित प्रक्रिया द्वारा नियत अवधि के लिए आमंत्रित करना
(vii) अध्ययन पीठों एवं अध्येतावृत्तियों की स्थापना ।

56.4 प्रशासन :

(i) संस्थान का एक निदेशक होगा, जो संस्थान के प्रशासन, अकादमिक उन्नयन और विश्वविद्यालय के साथ समन्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।
(ii) संस्थान का निदेशक संस्थान से संबद्ध ज्ञानानुशासन का कोई प्रोफेसर होगा।
(iii) प्रोफेसर की उपलब्धता न होने पर संबद्ध ज्ञानानुशासन का वरिष्ठतम एसोशिएट प्रोफेसर निदेशक होगा।
(iv) निदेशक की नियुक्ति कुलपति की संस्तुति पर कार्य-परिषद द्वारा की जाएगी।
(v) निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और वह पुन: नियुक्ति का पात्र होगा।

56.5 अध्ययन मंडल :

(i) संस्थान की शैक्षणिक और शोध संबंधी गतिविधियों के नियमन एवं संचालन के लिए एक अध्ययन मंडल (Board of Studies) होगा। अध्ययन मंडल का संघटन इस प्रकार होगा –

1.	संस्थान के निदेशक	:	अध्यक्ष
2.	संस्थान के सभी प्रोफेसर	:	सदस्य
3.	वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में संस्थान के एक एसोशिएट प्रोफेसर	:	सदस्य
4.	वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में संस्थान के एक असिस्टेंट प्रोफेसर	:	सदस्य
5.	संस्थान के निदेशक द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम पाँच बाह्य विशेषज्ञों के पैनल से कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विशेषज्ञ	:	सदस्य

क्रमांक 3 से 5 पर उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। किंतु, क्रमांक 1 और 2 का कार्यकाल उनकी पदावधि तक रहेगा।

(ii) अध्ययन मंडल की बैठकें प्रत्येक अकादमिक वर्ष में कम-से-कम दो बार आयोजित होंगी। बैठक के लिए गणपूर्ति पाँच में से तीन सदस्यों की होगी, जिसमें एक विषय-विशेषज्ञ का होना आवश्यक होगा।

56.6 'महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र' का 'वर्धा समाज कार्य संस्थान' में रूपांतरण

'महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र' 'वर्धा समाज कार्य संस्थान' के अधिसूचित होने की तिथि से **'वर्धा समाज कार्य संस्थान'** के नाम से जाना जाएगा।

56.7 समस्या निवारण

अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत किसी समस्या का निराकरण नहीं हो पाने की स्थिति में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

क़ादर नवाज़

(क़ादर नवाज़ ख़ान)
कुलसचिव 26/08/25